न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 29/2017

महेन्द्र कुमार उम्र 48 वर्ष गोद पुत्र धापी देवी पत्नी स्व. लाधुराम जाति ब्राहम्ण साकिन नृसिंहसागर तालाब के पास, सर्वोदय बस्ती बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थी

–:बनाम:–

1. शकुन्तला पत्नी श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण साकिन निवासी 7 श्ख्श दक्षिण विस्तार, पवनपुरी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
2. पुष्पा देवी पत्नी श्री चम्पालाल जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं.3 गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री मदन लाल पारीक	–– प्रार्थी
2.	श्री जगराज सिंह भारी	–– अप्रार्थी सं. 1 व 2
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	–– अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 29.11.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थी की माता श्रीमति धापी देवी पत्नी श्री लाधुराम जाति ब्राहम्ण को चक 21 पीबीएन हाल चक 139 आरडी के प.नं. 8/334 किला नं. 2 ता 8, 13 ता 18 की 3.289 हैक. यानी 13 बीघा नहरी मय खाला भूमि दिनांक 15.12.1962 को कीमतन आंवटन हुई थी। जिसकी समस्त किश्तें खजानाराज में जमा करवाने के बाद इस भूमि की सनद खातेदारी दिनांक 06.05.1976 को माता धापी देवी के नाम जारी हुई। चित्रप्रति सनद बहक धापी देवी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि लाधुराम व धापी देवी जो पति पत्नी थे। इनके दो पुत्रीयां शकुन्तला देवी व पुष्पा देवी अप्रार्थी सं. 1, 2 थे। लाधुराम व धापी देवी के कोई पुत्र सन्तान नही होने के कारण उन्होने अपनी पुत्री पुष्पा देवी व जवांई चम्पालाल के पुत्र मुझ प्रार्थी को मेरे जन्म के 6 माह के बाद बतौर पुत्र गोद ले लिया था। इन चारो की सहमति से एवं सभी [illegible] सामाजिक रस्म अदायगी कर विधिवत तरीके से लाधुराम व धापी देवी नें प्रार्थी को गोद लिया था। गोद लेने व देने की उम्र 6 माह के बाद से प्रार्थी बतौर पुत्र लाधुराम व धापी देवी के [illegible] इन दोनो ने बतौर पुत्र प्रार्थी का लालन पालन, पढ़ाई, सगाई, विवाह आदि किया [illegible] इन दोनों को अपना माता पिता मानता रहा है। प्रार्थी का अपने प्राकृतिक माता पिता से बतौर [illegible] पिता कोई सम्बंध नही रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

यह कि माता धापी देवी व पिता लाधुराम गांव प्रेमपुरा रहते थे। पिता लाधूराम गिरदावर थे। प्रार्थी भी इनके साथ गांव प्रेमपुरा रहता था । प्रार्थी की सगाई एवं विवाह आदि भी इन दोनो नें किया। प्रार्थी की पत्नी भी विवाह के समय सन 1988 में यही प्रेमपुरा इनके साथ आकर रहने लगी। पिता श्री लाधुराम के टीबी की बीमारी थी जिसका ईलाज प्रार्थी नें करवाया। लाधुराम के फौत होने

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पर सभी रस्मे रिवाज, क्रियाकर्म, दाह संस्कार, मृत्यु भोज बतौर पुत्र प्रार्थी नें किया। पिता श्री लाधुराम का देहान्त दिनांक 02.05.2001 में होने के बाद प्रार्थी गांव प्रेमपुरा छोड़ दिया। अपनी माता धापी देवी को लेकर बीकानेर आकर रहने लगा। श्री लाधुराम के फौत होने के बाद माता धापी देवी को पेन्शन मिलती थी। उस बैंक खाते में धापी देवी नें मुझ प्रार्थी को बतौर पुत्र अपना नोमिनी बनाया था। प्रार्थी को जब गोद लिया गया था उस समय इसकी लिखित नही की गई थी। इसलिये श्री लाधुराम के फौत होने के बाद श्रीमति धापी देवी नें दिनांक 13.01.2014 को चम्पालाल, पुष्पा देवी की सहमति से रोबरू गवाहान एवं गोदनामा तहरीर करवाकर उप पंजीयक बीकानेर से पंजीकृत करवा दिया। इस गोदनामा में श्रीमति धापी देवी नें सभी तथ्यों को अकिंत करवाया है। चित्रप्रति गोदनामा दिनांक 13.01.2014 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रशगनत वर्तमान चक 139 आरडी पुराना चक 21 पीबीएन के प.नं. 8/334 किला नं. 2 ता 8, 13 ता 18 की 3.289 हैक. नहरी मय खाला भूमि श्रीमति धापी देवी की स्वंय की खातेदारी भूमि थी। जिसकी वह पूर्ण स्वामिनी थी। धापी देवी नें अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से उक्त भूमि की एक वसीयत अपने पुत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष में रोबरू गवाहान दिनांक 09.01.2014 को तहरीर करवाकर तस्दीक करवा दी थी। चित्रप्रति वसीयत दिनांक 09.01.2014 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि माता धापी देवी हमेशा ही प्रार्थी के पास रहती थी, प्रार्थी ही इनकी सेवा चाकरी एवं देखभाल करता था। माता धापी देवी का देहान्त दिनांक 23.06.2015 को हो गया था। प्रार्थी नें ही बतौर पुत्र सभी सामाजिक रिवाज निभाते हुए धापी देवी का दाह संस्कार, क्रियाकर्म, मृत्युभोज किया तथा 12 दिन अपने घर बैठक रखी थी। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र धापी देवी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रशनगत 13 बीघा भूमि को पिता श्री लाधुराम के जीवनकाल तक प्रार्थी के बालिग होने के बाद से प्रार्थी व माता धापी देवी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को हिस्सा पर काश्त हेतू दी जाती थी। जिसकी देखभाल, खेती सम्बंधी सभी कार्य प्रार्थी ही करवाता था। पिता लाधुराम के फौत होने के बाद सन 2001 नवम्बर माह में प्रार्थी माता धापी देवी परिवार सहित बीकानेर आ गये थे। उसके बाद यह भूमि प्रार्थी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को ठेका पर काश्त हेतू देता रहा है। सन 2009 10 से यह भूमि लगातार ठेका पर काश्त हेतू हनुमान भूकर को दी जाती रही है। इस वर्ष भी यह भूमि इसी के पास ठेका पर काश्त हेतू दी गई है। ठेका राशि प्रार्थी को नगदी या प्रार्थी के बैंक खाते में जमा प्रतिवर्ष करवा दी जाती है। अप्रार्थीगण का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नही है । यह कि प्रार्थी जो श्रीमति धापी देवी का पुत्र है एवं धापी द्वारा अपनी इस भूमि की एक वैध वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की गई है। इसलिये प्रशगनत इस 13 बीघा भूमि का प्रार्थी मुताबिक वसीयत धापी देवी के अकेला खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1, 2 को इन सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी सं.1 व इनके पुत्र नें एक साजीशाना, कूटरचित एवं विधि विरूद्व दस्तावेज जिसे वे वारीसानामा कहते है को गलत तरीके से बनवाकर उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए मुझ प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व तैयार करवा लिया । धापी देवी बीकानेर प्रार्थी के पास रहती थी एवं वही फौत हुई थी जबकि वारीसनामा सरपंच ग्रांम पचायंत प्रेमपुरा द्वारा जारी किया गया है। इस गलत एवं विधि विरूद्व वारीसनामा के आधार पर राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थी को सूचना दिये बगैर बिना जांच किये इस भूमि का राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 1, 2 का नाम अकंन करवा लिया जबकि अप्रार्थी सं. 1, 2 का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी इस भूमि का एक मात्र हकदार व खातेदार है। इस गलत अकंन से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रशनगत 13 बीघा भूमि को पिता श्री लाधुराम के जीवनकाल तक प्रार्थी के बालिग होने के बाद से प्रार्थी व माता धापी देवी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को हिस्सा पर काश्त हेतू दी जाती थी। जिसकी देखभाल, खेती सम्बंधी सभी कार्य प्रार्थी ही करवाता था। पिता लाधुराम के फौत होने के बाद सन 2001 नवम्बर माह में प्रार्थी माता धापी देवी परिवार सहित बीकानेर आ गये थे। उसके बाद यह भूमि प्रार्थी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को ठेका पर काश्त हेतू देता रहा है। सन 2009 – 10 से यह भूमि लगातार ठेका पर काश्त हेतू हनुमान भूकर को दी जाती रही है। इस वर्ष भी यह भूमि इसी के पास ठेका पर काश्त हेतू दी गई है। ठेका राशि प्रार्थी को नगदी या

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी के बैंक खाते में जमा प्रतिवर्ष करवा दी जाती है। अप्रार्थीगण का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी जो श्रीमति धापी देवी का पुत्र है एवं धापी द्वारा अपनी इस भूमि की एक वैध वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की गई है। इसलिये प्रशगनत इस 13 बीघा भूमि का प्रार्थी मुताबिक वसीयत धापी देवी के अकेला खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1, 2 को इन सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी सं.1 व इनके पुत्र ने एक साजीशाना, कूटरचित एवं विधि विरूद्व दस्तावेज जिसे वे वारीसानामा कहते है को गलत तरीके से बनवाकर उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए मुझ प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व तैयार करवा लिया। इस गलत एवं विधि विरूद्ध वारीसनामा के आधार पर राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थी को सूचना दिये बगैर बिना जांच किये इस भूमि का राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 1, 2 का नाम अकंन करवा लिया जबकि अप्रार्थी सं. 1, 2 का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी इस भूमि का एक मात्र हकदार व खातेदार है परन्तु राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम गलत अकंन होने का ये नाजायज फायदा उठाते हुए इस भूमि को खुर्द बुर्द करने, रहन बैय करने एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर आमाद है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविध का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण प्राप्त करने का हकदार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि वे तहसील पीलीबंगा के चक 139 आरडी के प.नं. 8/334 किला नं. 2 ता 8, ता 18 की 3.289 हैक्. नहरी मय खाला भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक पक्षिय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण चक 139 आरडी के प.न. 8/334 किला न. 2 ता 8, 13 ता 18 की कुल 3.289 है. नहरी मय खाला भूमि को रहन बैय न करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा हाजिर होकर ईकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। इकबाल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की और से निम्न प्रकार से है :–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में सजरा खानदान स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है। यह भूमि माता धापी देवी को आंवटन हुई थी जिनकी सनद भी इनके नाम से जारी हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। पिता लाधूराम व माता धापी देवी के कोई पुत्र सन्तान न होने के कारण उन्होने मेरे पुत्र प्रार्थी महेन्द्र कुमार को 6 माह की उम्र में बतौर पुत्र गोद लिया था। तब से लेकर लगातार प्रार्थी महेन्द्र कुमार अपने माता पिता धापी देवी व लाधूराम के पास रहा है। इन्होने बतौर पुत्र महेन्द्र कुमार का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि किया था।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थी महेन्द्र कुमार का हम प्राकृतिक माता पिता से कोई सम्बंध नही रहा है। गोद लेने के बाद से लाधूराम व धापी देवी ने महेन्द्र कुमार को अपने साथ गांव प्रेमपुरा ले गये थे और इसे अपने [illegible] महेन्द्र कुमार की शादी भी इन्होने की थी। शादी के बाद महेन्द्र कुमार की पत्नी भी गांव प्रेमपु[illegible]। लाधूराम के फौत होने के बाद गोदनामा की लिखित धापी देवी नें दिनांक 13.01.14 को [illegible]

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 स्वीकार है। धापी देवी ने इस कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 09.01.2014 को प्रार्थी महेन्द्र कुमार के पक्ष में करवाई थी। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 स्वीकार है। धापी देवी की मृत्यु प्रार्थी महेन्द्र कुमार के पास ही हुई थी। महेन्द्र नें ही सभी सामाजिक रिति रिवाज मृत्यु भोज आदि बतौर थे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 स्वीकार है। यह पुत्र किये कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 स्वीकार है। प्रशनगत भूमि में हम अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 स्वीकार है अतः इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा ईकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जा चुकी है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध की गई एक पक्षिय कार्यवाही आपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जो कि उभय पक्ष अधिवक्ता के बहस हेतु अनैक अवसर दिये जाने पर भी बहस नहीं किये जाने पर बहस बंद की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांतो का समान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है अप्रार्थी सं. 1 व 2 निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र में प्रभावी पैरवी की जा रही है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दिनांक 03.05.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज़ की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested